भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
भारत सरकार
एनसीयूआई भवन, चौथी मंज़िल, 3, सीरी इंस्टीट्यूश्नल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग,
हौज़ खास, नई दिल्ली-110016, दूरभाष:- 49536496, 49092978

Warehousing Development and Regulatory Authority
Govt. of India
NCUI Building, 4th Floor, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi – 110016, Tel. No. 49536496, 49092978

सं.डब्लूडीआरए-2018-i-i-टैक/368 दिनांक: 12 मार्च, 2019

परिपत्र

विषय: - रेपोजिटरी माध्यम से परक्राम्य भांडागार रसीदें अनिवार्यत: इलेक्ट्रोनिक प्रारूप (इ-एनडबल्यूआर) में जारी करना ।

भारत सरकार द्वारा 23 फरवरी, 2017 को भारत राजपत्र में भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 अधिसूचित किए गए हैं । इन नियमों के अनुपालन में, प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भांडागारों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में इन नियमों के अधीन लाया गया है तथा सभी नए भांडागारों का पंजीकरण इन नियमों के अधीन किया जाता है ।

भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 27 में प्रावधान है कि : -

27 ई परक्राम्य भंडारण रसीद रेपोजिटरी में अनिवार्य पंजीकरण

(1) ऐसी तारीख से जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, कोई भांडागारपाल भौतिक रूप में कोई परक्राम्य भंडारण रसीदे जारी नहीं करेगा और इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भंडारण रसीद जारी करने के लिए प्राधिकरण के पास एक या अधिक रेपोजिटरी में पंजीकृत होगा ।

(2) प्राधिकरण इस नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए भांडागारपाल के लिए पर्याप्त समय प्रदान करेगा । डब्लूडीआरए के साथ पंजीकृत रेपोजिटरी अर्थात मैसर्स सी डी एस एल कोमोडिटी रेपोजिटरी लिमिटेड (सी सी आर एल) मैसर्स नेशनल ई रेपोजिटरी लिमिटेड (एन ई आर एल) ने ई एन डब्लू आर के 26.09.2017 को आरंभ होने के साथ सुचारु रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है । भांडागारों के पंजीकरण के निबंधन एवं शर्तों के अधीन भांडागारों में जमा माल के विरुद्ध पंजीकृत भांडागारों के भांडागारपाल को इ-एनडबल्यूआर जारी करने क लिए रेपोजिटरी प्रणालियों से अवगत करा दिया गया है ।

चूंकि काफी समय से रेपोजिटरी प्रणाली प्रचालन मे है तथा सुचारु रूप से कार्य कर रही है तथा अब तक काफी संख्या मे ई एन डब्लू आर जारी की जा चुकी हैं । अतः उपर्युक्त नियम के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है कि **1 जून, 2019** से कोई भांडागारपाल कोई भी परक्राम्य भांडागार रसीद भौतिक रूप मे जारी नहीं करेगा तथा प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक या अधिक रेपोजिटरी के साथ ऑनबोर्ड हो जाएगा तथा परक्राम्य भांडागार रसीद इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में जारी करेगा ।

जारी....

पंजीकृत भांडागारों के सभी भांडागारपालों को सलाह दी जाती है कि वे केवल इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें जारी करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें ।

(**दीपक आर्य**)
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त.)

सेवा में

डब्लूडीआरए के साथ पंजीकृत सभी भांडागार ।